RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 26 / 2025 **GCMS NO:- 2025/70**

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, बालोतरा, जिला बालोतरा।		1. श्री नरेन्द्र पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी रेलवे स्टेशन, सालावास तहसील लूणी, जिला जोधपुर। 2. श्री मांगीलाल पुत्र श्री हरलाल जाति विश्नोई निवासी गांव देवड़ा, तहसील चितलवाना, पुलिसथाना झाब, जिला जालोर। 3. श्री छोगसिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम सरवड़ी, तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा। 4. श्री हनुमानाराम चौधरी जाति जाट निवासी सेवड़ी, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर, वाहन मालिक टेंकर वाहन संख्या आरजे 46 जीए 5226।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित।
3. श्री अमाराराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 अनुपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 1 व 4 बावजुद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 29.04.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 08.04.2025 को श्रीमान वृताधिकारी वृत्त पचपदरा, श्री अशोक जोशी द्वारा प्राप्त सूचना पर कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला रसद अधिकारी, बालोतरा श्री हजारीलाल अलोरिया, मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाड़मेर जोधपुर रोड़ पर ग्राम सरवड़ी में मुख्य मार्ग पर बने होटलनुमा मकान में भण्डारित अवैध पेट्रोलियम पदार्थ कि जॉच हेतु पहुंचे। मौके पर जांच में मौके पर रसद विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा

जिला कलक्टर
बालोतरा

सयुक्त कार्यवाही में ग्राम सरवड़ी में बाड़मेर, जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्री छोगसिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह राजपुरोहित के होटलनुमा बने पक्के मकान के दो कमरों में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ की जांच में श्री नरेन्द्र पुत्र श्री चेनाराम, निवासी रेल्वे स्टेशन सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ का प्लास्टिक ड्रमों में अवैध भण्डारण किया जाकर अवैध कय-विक्रय किया जाना पाया गया। प्लास्टिक ड्रमों की जांच करने पर भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ को देखने सूंघने पर पेट्रोलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। कमरा नंबर 01 में 09 प्लास्टिक ड्रमों में भण्डारित अवैध पेट्रोलियम पदार्थ को नजदीक में स्थित पेट्रोल पम्प से 05 लीटर के केलिब्रेटिड जार मंगवाया जाकर खाली प्लास्टिक ड्रम में भरे हुये ड्रम से माप कर भरा जाकर कुल भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा 2025 लीटर होना पाया गया। इसी प्रकार कमरा नंबर 02 में 08 प्लास्टिक ड्रमों में भण्डारित अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा 1800 लीटर सहित कुल 3825 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण पाया गया। मौके पर पुलिस द्वारा डिटेन किये गये व्यक्ति ने अपना नाम श्री नरेन्द्र पुत्र श्री चेनाराम निवासी रेल्वे स्टेशन सालावास तहसील लूणी, जिला जोधपुर का होना बताया तथा उक्त मकान श्री छोगसिंह से मोटर गैराज के कार्य हेतु 10 हजार रूपये प्रति माह में किराया पर लिया जाना बताया तथा पुछताछ में बताया गया कि उसके द्वारा गत 8-10 दिनों से ऑयल डीपो से पेट्रोल डीजल भरकर आने वाले टैंकरों से 80 रूपये लीटर में पेट्रोल तथा 78 रूपये प्रति लीटर में डीजल की खरीद कर पेट्रोल 83 रूपये प्रति लीटर में एवं डीजल 80 रूपये प्रति लीटर में बेचने का कार्य किया जा रहा है। श्री नरेन्द्र से उक्त कार्य के बाबत् आवश्यक दस्तावेज मांगे गये, किन्तु कोई दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये। पुछताछ में यह भी बताया कि डीजल पेट्रोल का अवैध व्यापार पूर्व में सालावास में स्थित ऑयल कम्पनीयों के डीपों के पास करता था, किन्तु वहाँ कार्य बंद करने से ग्राम सरवड़ी में श्री छोगसिंह राजपुरोहित का होटलनुमा मकान किराया पर लेकर डीजल एवं पेट्रोल के भण्डारण एव कय-विक्रय का कार्य कर रहा है। मौके पर डिटेन किये गये अन्य व्यक्ति श्री मांगीलाल पुत्र श्री हरलाल जाति विश्नोई निवासी देवड़ा, तससील चितलवाना, जिला जालोर ने पुछताछ में बताया कि व मैसर्स हनुमान पेट्रोलियम सेवड़ी, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर के प्रोपराईटर श्री हनुमानराम चौधरी के टैंकर नं RJ46 GA 5226 पर ड्राइवर की नौकरी करना बताया, जिसके लिये उसे 25 हजार रूपये प्रति माह वेतन मिलता है, उक्त फर्म पर गत 03 वर्ष से नौकरी करना बताया तथा सालावास ऑयल डीपों से पेट्रोल डीजल टैंकर में भरकर हनुमान पेट्रोलियम सेवड़ी, के कारोबार परिसर तक पेट्रोल-डीजल पहुंचाने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। दिनांक 07.04.2025 को 4.40 पी एम पर सालावास डीपों से उक्त टैंकर में 14 हजार लीटर

जिला कलक्टर
बालोतरा

डीजल भरकर 6.30 पी एम पर ग्राम सरवड़ी पहुंचा था। जहाँ सर्विस टैंक में बचे हुए 20 लीटर डीजल 1250 रूपये में बेचने के लिए श्री नरेन्द्र के पास रोड़ पर टैंकर को रोका गया जिस पर श्री नरेन्द्र ने रोड़ पर लाईट होने से टैंकर को होटलनुमा मकान के पास लेकर आने का कहने पर श्री मांगीलाल द्वारा टैंकर मकान के पास बने टीनशेड में लेकर पहुंचा इतने में ही मौके पर पुलिस के पहुंचने से श्री मांगीलाल द्वारा डीजल नहीं बेचा जा सका । श्री मांगीलाल पुत्र श्री हरलाल एवं श्री नरेन्द्र पुत्र श्री चेनाराम के पृथक–पृथक बयान दर्ज करवाये गये। मौका स्थल के नजदीक स्थित नायरा पेट्रोल पम्प से डेनसिटी चार्ट एवं डेनसिटी किट मंगवाया जाकर दोनों कमरों में प्लास्टिक ड्रमों में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ की डेनसिटी जाँच की गयी, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ का घनत्व (डेनसिटी) कमरा नं. 01 व 02 में कमश 747.9 व 794. 7 होना पाया गया। घनत्व जांच में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ के पेट्रोलनुमा पदार्थ होने की संभावना प्रतीत होने पर कमरा नंबर 01 एवं 02 में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थो का घनत्व अलग–अलग होने से दोनों कमरों में भण्डारित सभी प्लास्टिक ड्रमों से थोड़ी–थोडी मात्रा निकालकर एल्युमिनियम के कंटेनर में अलग–अलग नमुना लिया जाकर मौके पर सील कर सेम्पल पर हस्ताक्षर युक्त विवरण चस्पा किया गया, एवं कमश नमुना सं. A,B,C अंकित कर पुलिस अभिरक्षा में दिये गये। मौका जांच में होटलनुमा मकान के पास बने टिनसेड में लोहे के गेट के अंदर टैंकर सं. RJ46 GA 5226 खड़ा मिला जिसके बारे में ड्राइवर श्री मांगीलाल से पुछताछ में उक्त टैंकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के सालावास स्थित डीपों से 14 हजार लीटर डीजल भरकर मैसर्स हनुमान पेट्रोलियम सेवड़ी हेतु निकला था, किन्तु ड्राईवर द्वारा उक्त टैंकर के सर्विस टैंक से 20 लीटर डीजल श्री नरेन्द्र को बेचने के लिए उक्त परिसर में आना बताया। मौका जांच में टैंकर पुरा भरा हुआ एवं सभी कम्पार्टमेन्ट सील होकर लॉक किये हुये पाए गए। मौके पर टैंकर से किसी प्रकार की छेडखानी नहीं होना पाया गया। श्री बजरंग पुत्र श्री हनुमानाराम ने मौके पर बताया कि उक्त टैंकर उसके पिताजी के नाम से है, जो सालावास डीपों से 14 हजार लीटर डीजल भरकर Invoice number 9013442283 दिनांक 07.04.2025 को उनकी फर्म हनुमान पेट्रोलियम सेवड़ी तहसील बागोड़ा, जिला जालोर हेतु निकला था। उक्त टैंकर के चालक श्री मांगीलाल द्वारा अपने स्तर पर टैंकर के सर्विस टैंक से 20 लीटर डीजल श्री नरेन्द्र को बेचने हेतु उक्त परिसर में लाना बताया। किन्तु मौके पर पुलिस आ जाने से ड्राइवर द्वारा डीजल की ब्रिकी नहीं कि जा सकी। मौके पर डिटेन व्यक्ति श्री नरेन्द्र से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण एवं कय–विक्रय से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, किन्तु मौके पर उनके द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा जाने पर दो कमरों में प्लास्टिक ड्रमों में भण्डारित 3825 लीटर पेट्रो. लियम पदार्थ, 14 हजार लीटर डीजल से भरे टैंकर

जिला कलक्टर
जालोर

सं. RJ46 GA 5226, 26 खाली प्लास्टिक ड्रम, प्लास्टिक पाईप लगी 01 मोटर प्लास्टिक पाईप व दो प्लास्टिक जरीकेन जब्त सरकार किये जाकर सुरक्षा कि दृष्टि से प्लास्टिक ड्रमों में भण्डारित 3825 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ 26 खाली प्लास्टिक ड्रम, प्लास्टिक पाईप लगी 01 मोटर, प्लास्टिक पाईप तथा 02 प्लास्टिक जरीकेन थानाधिकारी कल्याणपुर, श्री बुधाराम चौधरी को एवं 14 हजार लीटर से भरे हुए टैंकर सं. RJ46 GA 5226, को फर्म मैसर्स पदमा पेट्रोलियम KSK (IOCI) कोड़का तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर के प्रबन्धक श्री निम्बाराम पुत्र श्री मूलाराम, निवासी रोपसी, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर को सुपुर्दगी में दिया गया। मौका जांच एवं डिटेन किये गये व्यक्तियों से पुछताछ में श्री नरेन्द्र पुत्र श्री चेनाराम व श्री मांगीलाल पुत्र श्री हरलाल के पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण एव कय–विक्रय एवं कारोबार परिसर मालिक श्री छोगसिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह के पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण के कार्य में संलिप्त होना पाया गया, जो कि मोटर स्प्रीट एवं हाई स्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूसन एवं प्रिवेन्शन ऑफ माल प्रेकटिस) आदेश 2005 के क्लॉज 02 (f) (I,iv,vi, vii) व क्लॉज 04 का स्पष्ट उल्लघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मे जब्तशुदा 3825 लीटर बायोडीजल नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 मय अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थी संख्या 1, 3 स्वयं बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 3825 लीटर बायोडीजल राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने जवाब व दौरान बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 की राष्ट्रीय राजमार्ग पर होटलनुमा परिसर है तथा उक्त परिसर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये किरायानामा के व्यवसाय हेतु किराये पर दिया हुआ वक्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 3 मजदूरी हेतु बाहर गया होने के कारण की गयी कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। अवैध पैट्रोलियम पदार्थ कितनी मात्रा में बरामद हुआ, इसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 3 को नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपना परिसर अप्रार्थी संख्या 1 को केवल मात्र व्यवसाय हेतु किराया पर दिया था, जिसका किरायानामा भी

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालोर

जिला कलक्टर
जालोर

अप्रार्थी संख्या 1 ने निष्पादित कर गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नोटेरी कर अप्रार्थी सं. 3 को सुपुर्द कर किरायानामा मे लिखी शर्ते स्वीकार की थी, जिसमे स्पष्ट रुप से लिखकर दिया था कि उक्त परिसर में किसी प्रकार का कोई अवैध, गैरकानूनी कार्य नहीं करेगा। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये गये अवैध व गैरकानूनी कार्य के लिये अप्रार्थी संख्या 1 जिम्मेवार है। अवैध पैट्रोलियतम पदार्थ के निस्तारण के सबंध में कार्यवाही की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 3 को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त बरामद माल को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया एवं उक्त माल को आज रोज तक मेरे होटल परिसर मे ही जब्त कर रखा हुआ है। उक्त अवैध पैट्रोलियम पदार्थ का निस्तारण करते हुए अवैध पैट्रोलियम पदार्थ को मेरे मालिकाना हक के परिसर से हटाया जाकर निस्तारित कर परिसर का कब्जा मुझे दिलाने की कृपा करावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर व प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी श्री नरेन्द्र पुत्र श्री चेनाराम व श्री मांगीलाल पुत्र श्री हरलाल को अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ संग्रह करते हुए पाया गया तथा मौके से गाड़ी में तथा ड्रमों में भरे पदार्थ के बारे में पूछने पर अप्रार्थी (मौके पर उक्त शख्स) ने बायोडीजल होना बताया। सूंघने तथा जांच करने पर कुल 3825 लीटर बायोडीजल भरा होना पाया गया। साथ ही मौके पर प्लास्टिक ड्रमों में भण्डारित 3825 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 26 खाली प्लास्टिक ड्रम, प्लास्टिक पाईप लगी 01 मोटर, प्लास्टिक पाईप तथा 02 प्लास्टिक जरीकेन तथा 14 हजार लीटर से भरे हुए टैंकर सं. RJ46 GA 5226 पाया गया। उक्त शख्स से बायोडीजल लाने, बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करने बाबत वैध अनुज्ञापत्र होना नहीं बताया गया। साथ ही उक्त जब्तसुदा बायोडीजल नुमा पदार्थ में से कांच की बोतल में नमुना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए तथा प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट में " On physico-chemical & instrumental analysis:- The liquid sample contained in packet marked **A1** confirmed the BIS specification for Petrol (IS-2796:2017) in respect of distillation characteristics and density. The liquid sample contained in the packet marked **A2** gave positive tests for the presence of Methanol." होना बताया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 3825 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के समुचित आधार मौजूद हैं।

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये 3825 लीटर कथित बायोडीजल राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात किये गये 3825 लीटर बायोडीजल का सार्वजनिक निलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करे तथा अप्रार्थी संख्या 3 की दुकान सुपुर्द करे। साथ ही 14 हजार लीटर से भरे हुए टैंकर सं. RJ46 GA 5226, को फर्म मैसर्स पदमा पेट्रोलियम KSK (IOCI) कोड़का तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर के प्रबन्धक श्री निम्बाराम पुत्र श्री मूलाराम, निवासी रोपसी, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर को सुपुर्दगी में दिया गया, को नियमानुसार कार्यवाही कर निस्तारण करे। प्रकरण में वाहन टैंकर सं. RJ46 GA 5226 के स्वामी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत सुपर्दगीनामा निरस्त किया जाता हैं तथा वाहन को जब्ती से मुक्त किया जाता हैं। इस आदेश की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना पचपदरा एवं जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को पालना एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

6. आदेश आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा